

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी**  
**पीठासीन अधिकारी :- सत्य नारायण-1 (आर.ए.एस.)**

राजस्व प्रकरण संख्या :- 152/2025  
 दायर दिनांक :- 23.06.2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2025/271  
 निर्णय दिनांक :- 06.04.2026

1. आईदान पुत्र जुगताराम जाति सुथार निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी

-प्रार्थी

**बनाम**

1. अणचीबाई पुत्र परमाराम जाति सुथार निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
2. ओमाबाई पुत्री परमाराम जाति सुथार निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
3. गिरधारीराम पुत्र परमाराम जाति सुथार निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
4. चन्दूबाई पुत्री परमाराम जाति सुथार निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
5. जैसाराम पुत्र रूपाराम जाति सुथार निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
6. जीवणीबाई पुत्री परमाराम जाति सुथार निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
7. तेजाराम पुत्र रूपाराम जाति सुथार निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
8. पपूबाई पुत्री परमाराम जाति सुथार निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
9. फरसाराम पुत्र परमाराम जाति सुथार निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
10. सुवटी पत्नी परमाराम जाति सुथार निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
11. साउराम पुत्र परमाराम जाति सुथार निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
12. हवाबाई पुत्री परमाराम जाति सुथार निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
13. नाबालिग आसूराम पुत्र आईदान संरक्षक वली माता दीनी बेवा आईदान जाति मेगवाल निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
14. नाबालिग चुतराराम पुत्र आईदान संरक्षक वली माता दीनी बेवा आईदान जाति मेगवाल निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
15. नाबालिग मागूराम पुत्र आईदान संरक्षक वली माता दीनी बेवा आईदान जाति मेगवाल निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
16. गीता पत्नी भंवरूराम जाति विश्णोई निवासी मदासर तहसील बाप जिला फलोदी
17. राजेन्द्रकुमार पुत्र भंवरूराम जाति विश्णोई निवासी मदासर तहसील बाप जिला फलोदी
18. बगताराम पुत्र रूगनाथराम जाति विश्णोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
19. शांति पत्नी गणपतराम जाति विश्णोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
20. सुगनी पत्नी बगताराम जाति विश्णोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
21. ओमप्रकाश पुत्र जगमालराम जाति विश्णोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
22. पारू पुत्री हरसिंगाराम जाति विश्णोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
23. बाबूराम पुत्र हरसिंगाराम जाति विश्णोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
24. भगवानाराम पुत्र हरसिंगाराम जाति विश्णोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
25. भैराराम पुत्र हरसिंगाराम जाति विश्णोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
26. मोहनी पुत्री हरसिंगाराम जाति विश्णोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
27. हेतराम पुत्र हरसिंगाराम जाति विश्णोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
28. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

-अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

*Saty*  
 उपखण्ड अधिकारी  
 बाप (फलोदी)



उपरिस्थित :-1. श्री राजेन्द्रसिंह सौलकी अधिवक्ता प्रार्थी  
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

--:: निर्णय ::--

प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थी की खातेदारी अधिकारों की कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा नम्बर 1445 रकबा 4.8643 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 1444 रकबा 0.0971 हैक्टेयर सरहद मौजा कानासर पटवार हल्का कानासर तहसील बाप जिला फलोदी (राज.) में स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का राजस्व रेकार्ड जमाबंदी अनुसार कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है और प्रार्थी ने अपनी उक्त भूमि पर अपनी रहवासीय ढाणीयां, पानी के टांके, पशुओं के बाड़े इत्यादि बना रखे हैं। उक्त रहवासीय ढाणीयां में प्रार्थी अपने परिवार सहित बारह ही मास निवास करते आ रहे हैं। प्रार्थी ने अपनी उक्त खातेदारी की भूमि की भूमि पैमाईश करवाने हेतु श्रीमान तहसीलदार साहब बाप के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया और तहसीलदार साहब (भू.अ.) बाप ने क्रमांक 2025/49471/36 दिनांक 27.05.2025 को उक्त भूमि की पैमाईश करने के आदेश पटवारी हल्का को दिये। पटवारी हल्का उक्त आदेश की पालना में दिनांक 02.06.2025 को मौके पर जाकर प्रार्थी की उपस्थिति में उक्त भूमि की पैमाईश की तथा मौका फर्द तैयार कर प्रार्थी एवं उपस्थित मौतबीरान को पढ़ कर सुनाया गया। पैमाईश फर्द नियमानुसार तहसील कार्यालय में जमा करवा दी। प्रार्थी जब उसी समय पैमाईश अनुसार अपनी भूमि के चारों ओर खूटे रोपने लगे तो उक्त भूमि के पड़ोसी खातेदार अप्रार्थीगण सं. 1 ता 27 ने पैमाईश अनुसार प्रार्थी की हद में खूटे रोपने नहीं दिये और उक्त पैमाईश को मानने से इन्कार कर दिया। प्रार्थी अपनी खातेदारी की उक्त भूमि से बरसात के मौसम में काश्त करते हैं तब उक्त भूमि के चारों ओर तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थी द्वारा की गई काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है और प्रार्थी को अप्रार्थीगण क्षति हो रही है। इसलिये प्रार्थी ग्राम कानासर पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 1445 रकबा 4.8643 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 1444 रकबा 0.0971 हैक्टेयर भूमि की दिनांक 02.06.2025 को हुई भूमि पैमाईश अनुसार प्रार्थी अनुसार अपनी हद में पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक के नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 28 पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 28 पैरोकार सरकार ने जवाब में बताया कि ग्राम कानासर पटवार हल्का कानासर के खेत खसरा नम्बर 1445 रकबा 4.8643 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 1444 रकबा 0.0971 हैक्टेयर भूमि का सीमाज्ञान उपरान्त विवाद होने से पत्थरगढी किया जाना उचित है। मौका कमिश्नर शुल्क व पत्थरगढी आदेश की आड़ में कब्जा नहीं दिलाया जावे, आदेश में अकनं फरमाया जावे। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 27 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली बहस में रखी गई।

*Satish*  
जुब खंड अधिकारी  
बाप (फलोदी)

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम कानासर पटवार हल्का कानासर के खेत खसरा नम्बर 1445 रकबा 4.8643 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 1444 रकबा 0.0971 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है उक्त भूमि के चारों ओर तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थी द्वारा की जा रही काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है। इसलिये उक्त भूमि की पैमाईश फर्द दिनांक 02.06.2025 अनुसार अपनी हद में पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी, नक्सा ट्रेस एवं मौका फर्द, पैरोकार सरकार के जवाब का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम कानासर पटवार हल्का कानासर के खेत खसरा नम्बर 1445 रकबा 4.8643 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 1444 रकबा 0.0971 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थी वादग्रस्त भूमि का खातेदार है रेकर्डेड खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का पूर्ण अधिकार है। इसलिए प्रार्थी पैमाईश फर्द दिनांक 02.06.2025 अनुसार पत्थरगढी करवाने के हकदार है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दस्तावेजात से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

### आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है कि सरहद मौजा ग्राम कानासर पटवार हल्का कानासर के खेत खसरा नम्बर 1445 रकबा 4.8643 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 1444 रकबा 0.0971 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी मौका फर्द दिनांक 02.06.2025 अनुसार पड़ोसी खातेदारों को सूचित करते हुवे किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करें। प्रार्थी का उक्त वर्णित आराजीयात पर कब्जा नहीं होने की स्थिति में यह आदेश कब्जा सुपूर्दगी हेतु मान्य नहीं है। मौका कमिश्नर शुल्क 1000/- प्रार्थी द्वारा अदा किया जायेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर, दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.04.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



*Satyajit*  
(सत्य नारायण-I, R.A.S.)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
बाप (फलोदी)